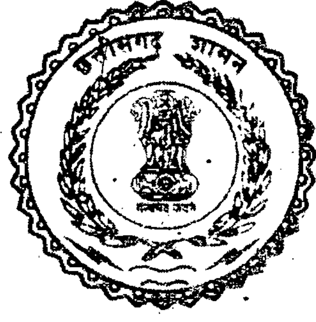
"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38-सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2007-2009."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 12] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 मार्च 2010—फाल्गुन 28, शक 1931

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं विकास राज दुबे पिता राजेन्द्र कुमार दुबे, आयु 40 वर्ष, निवासी 172 बी., रूवाबांधा सेक्टर, भिलाई नगर तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्री कु. लया दुबे जिसकी जन्मतिथि 20-12-2001 है का नाम परिवर्तित कर कु. श्रेया दुबे रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कुमारी श्रेया दुबे पिता विकास राज दुबे के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कुमारी लया दुबे	कुमारी श्रेया दुबे
आत्मजा-विकास राज दुबे	आत्मजा-विकास राज दुबे
निवासी-172 बी., रूवाबांधा सेक्टर	निवासी-172 बी., रूवाबांधा सेक्टर
भिलाई नगर	भिलाई नगर
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कुलेश्वरी लहरे पिता श्री सी. के. लहरे, उम्र 27 वर्ष, निवासी विवेकान्नद नगर, वर्मा ट्रेडर्स के पीछे, बोरसी रोड दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूं. मेरा विवाह दिनांक 18-10-2008 को श्री अनिल कुमार वर्मा बलौदाबाजार रायपुर के साथ रीति-रिवाज के अनुसार हुआ. विवाह के पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर श्रीमती प्रियंका वर्मा रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती प्रियंका वर्मा पति श्री अनिल कुमार वर्मा के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
कुलेश्वरी लहरे पिता-श्री सी. के. लहरे निवासी-विवेकान्द नगर, वर्मा ट्रेडर्स के पीछे, बोरसी रोड दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती प्रियंका वर्मा पति-श्री अनिल कुमार वर्मा निवासी-अंबूजा सीमेन्ट लिमिटेड, रवान, बलौदाबाजार, रायपुर जिला रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं लछन राम मांजरे पिता श्री घासूराम मांजरे, आयु 47 वर्ष, निवासी ग्राम-थूहा (बंगोली), पो.-मरौद तहसील कुरूद जिला धमतरी (छ. ग.) का हूं. मैं अपने उपनाम मांजरे को परिवर्तित कर अपना नाम लछन राम मंडले रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे लछन राम मंडले पिता श्री घासूराम मंडले के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा जावे.

पुराना नाम	नया नाम
लछन राम मांजरे पिता-श्री घासूराम मांजरे निवासी ग्राम थूहा (बंगोली) पो.-मरौद तहसील कुरूद, जिला धमतरी (छ. ग.)	लछन राम मंडले पिता-श्री घासूराम मंडले निवासी-ग्राम थूहा (बंगोली) पो.-मरौद तहसील कुरूद, जिला धमतरी (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

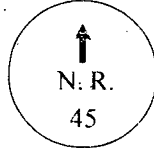
वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, महासमुन्द, (छ.ग.)

महासमुन्द, दिनांक 02 मार्च 2010

क्रमांक/गुमशुदा हेमर/784.—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पार्श्व में दर्शित बीट हेमर पिथौरा परिक्षेत्र के माटीदरहा बीट हेतु

20-10-1999 को जारी किया गया था. उक्त बीट के प्रभारी श्री गोकुल प्रसाद ताण्डी थे. श्री ताण्डी की मृत्यु दिनांक 14-11-2009 को हो गई. मृत्यु उपरांत उक्त हेंमर का व्यापक रूप से प्रचार , प्रसार एवं पारिवारिक सदस्यों से पुछताछ करने पर अप्राप्त होना पाया गया जिसकी सूचना आरक्षी केन्द्र सांकरा में दिनांक 22-01-2010 को दर्ज कराई गई. परन्तु अभी तक हेंमर प्राप्त नहीं हो सका है जिसकी सूचना परिक्षेत्र अधिकारी पिथौरा द्वारा पत्र क्रमांक/71 दिनांक 25-01-2010 को दिया गया. गुमशुदा हेंमर का प्रकाशन हेतु संयुक्त संचालक विज्ञापन जनसम्पर्क कार्यालय रायपुर की ओर पत्र क्रमांक/97 दिनांक 10-02-2010 द्वारा भेजी गई.

गुमशुदा बीट हेंमर की आकृति



उपरोक्त दर्शित हेंमर यदि किसी व्यक्ति को मिले तो निकटतम पुलिस थाना या समीप के वन कार्यालय में तत्काल जमा करावें एवं इस कार्यालय को सूचित करें. इस विज्ञप्ति के अनुसार यदि कोई भी व्यक्ति गुमशुदा बीट हेंमर को अनाधिकृत रूप से रखने तथा उपयोग में लाते पाया गया तो वह स्वयं दण्ड का भागी होगा साथ ही उनके विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जावेगी. अत: मैं आदेश देता हूं कि :-

(1) वन वित्तीय नियम 124 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त दर्शित गुमशुदा हेंमर को वनमंडल के स्टाक से अपलेखित किया जाता है.

(2) संबंधित कर्मचारी के मृत्यु होने के कारण गुमशुदा हेंमर की कीमत 100.00 (एक सौ रुपया) मात्र अपलेखन किया जाता है.

एच. एल. रात्रे,
वनमण्डलाधिकारी.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2010.